Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 41-2017/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2017
(15 फाल्गुन, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 25).	19–36
	2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26)	37–38
	3. हरियाणा क्रीड़ा परिषद् अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30)	39–57
	4. औद्योगिक विवाद (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 31)	58
	(केवल हिन्दी में)	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 मार्च, 2017

संख्या लैज.29/2016.– दि हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 फरवरी, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 25

हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

हरियाणा राज्य में कौशलता, उद्यमिता विकास, विनिर्माण, कपड़ा, डिजाइन, संभार–तंत्र तथा परिवहन, स्वचलन, रखरखाव इत्यादि के उभरते क्षेत्रों में कौशल आधारित शिक्षा तथा अनुसंधान सुकर बनाने तथा उन्नत करने तथा इन क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल स्तर को बढ़ावा देने तथा उससे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए कौशल विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" से अभिप्राय है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 52), के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;

(ख) "महाविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित, या के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय;

(ग) "वास्तुकला परिषद" से अभिप्राय है, वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम, 20) के अधीन गठित वास्तुकला परिषद ;

(घ) "कर्मचारी " से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा सभी अन्य अमला भी शामिल है;

(ङ) "हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 (2008 का 19) के अधीन स्थापित हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड;

(च) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" से अभिप्राय है, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 59) के अधीन निगमित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;

(छ) "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद" से अभिप्राय है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 102) के अधीन गठित भारतीय आयर्विज्ञान परिषद्;

(ज) "संस्था" से अभिप्राय है, कोई संस्था, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कोई महाविद्यालय न हो;

(झ) "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ;

(ञ) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम, 29) की अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संस्था;

(ट) " राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक" से अभिप्राय है, सम्बद्ध सेक्टर कौशल परिषदों द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक;

(ठ) "राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा गठित राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण;

(ड) "राष्ट्रीय कौशल विकास निगम" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम;

(ढ) "राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा कौशल के लिए यथा अधिसूचित अर्हता आश्वासन;

(ण) "भारतीय भेषजी परिषद्" से अभिप्राय है, भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) के अधीन गठित परिषद्;

(त) "विहित" से अभिप्राय है, परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित;

(थ) "सेक्टर कौशल परिषद्" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा ऐसे रूप में मान्यताप्राप्त सेक्टर कौशल परिषद्;

(द) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;

(ध) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(न) "राज्य सेक्टर कौशल परिषद्" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा ऐसे रूप में मान्यताप्राप्त सेक्टर कौशल परिषद्;

(प) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम ;

(फ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय;

(ब) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(भ) "विश्वविद्यालय अध्यापक" से अभिप्राय है, आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में अथवा किसी महाविद्यालय अथवा संस्था में शिक्षण, प्रशिक्षण देने अथवा अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएं तथा अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में पदाभिहित किए जाएं; तथा

(म) "व्यावसायिक शिक्षा" से अभिप्राय है, ऐसी शिक्षा जो किसी ट्रेड, शिल्प, अथवा व्यावसाय जैसे इंजिनियरिंग, लेखा विधि, नर्सिंग, चिकित्सा, वास्तुकला, विधि इत्यादि में सहायक भूमिका में तकनीशियन के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को समर्थ बनाना ।

निगमन। **3.** (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, संसद, कार्य परिषद्, कौशल परिषद् के सदस्यों और सभी व्यक्तियों, जो इसके बाद, ऐसे सदस्यों अथवा अधिकारियों के रूप में बनें या नियुक्त किए जाएं, जब तक वे ऐसी सदस्यता या पद पर बने रहें, से मिलकर हरियाणा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय बना रहेगा ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पति अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य। **4.** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:–

(क) उद्योग, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त कौशल शिक्षा में गुणवता की एक श्रेष्ठ संस्था के रूप में उभरना;

(ख) कौशल शिक्षा की राष्ट्रीय/राज्य अर्हताओं के अनुसार भिन्न–भिन्न स्तरों पर कौशल निपुणता तथा सक्षमता वाले अर्हक नवयुवक विकसित करना;

(ग) अग्रगमन तथा गतिशीलता के लिए मार्ग सुनिश्चित करने वाली उच्चतर शिक्षा सहित एकीकृत तथा साकल्वादी रीति में कौशल शिक्षा उन्नत करना;

(घ) नमनशील विद्या पद्धति तथा कौशल विकास के लिए अवसर उपलब्ध करवाना;

(ङ) कौशल तथा व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित सक्षमता के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करना;

(च) किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था, संगठन, विश्वविद्यालय इत्यादि से कौशल विकास प्रयास के सहयोग में विशेषज्ञता तथा सर्वोतम प्रथाओं का आदान–प्रदान करना;

(छ) सेमीनारों, सम्मेलनों, कार्यकारी शिक्षा प्रोग्रामों, सामुदायिक विकास प्रोग्रामों, प्रख्यानों तथा प्रशिक्षण प्रोग्रामों के माध्यम से ज्ञान/कौशल का प्रचार करना;

(ज) विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं के संकाय सदस्यों तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा विकास के लिए प्रोग्राम प्रारम्भ करना;

(झ) अन्य संगठनों के साथ सहयोगी अनुसंधान प्रारम्भ करना;

(ञ) आवश्यक कौशल तथा सहयोग उपलब्ध करवाते हुए उद्यमकर्ताओं का सृजन करना;

(ट) सरकारी, अर्धसरकारी, सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों को परामर्श उपलब्ध करवाना;

(ठ) पारस्परिक लाभों के लिए उद्योग तथा संस्थाओं को आमन्त्रित करते हुए उद्योग एकेडेमिया साझेदारी सृजन करना;

(ड) सुनिश्चित करना कि उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी उपाधियों के मानक भारत में वैधानिक विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित मानकों से नीचे के स्तर के तो नहीं हैं; तथा

(ढ) कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना, जो विहित किया जाए ।

शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग।

5. (1) क्षेत्र की सीमायें जिनके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसी होंगी, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु भिन्न–भिन्न संकायों के लिए भिन्न–भिन्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

(2) उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित कोई महाविद्यालय अथवा संस्था ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयुक्त, तथा अनुमति प्राप्त समझा जायेगा/समझी जाएगी तथा वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों से सहयुक्त, या अनुमति प्राप्त नहीं रहेगा/रहेगी तथा भिन्न–भिन्न महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं के लिये भिन्न–भिन्न तिथियां अधिसूचित की जा सकती हैं:

परन्तु–

(i) उक्त तिथि से पूर्व किसी अन्य विश्वविद्यालय से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था का कोई छात्र, जो उस विश्वविद्यालय की किसी उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, उसकी तैयारी के संबंध में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय ऐसे छात्राओं के लिये, उस विश्वविद्यालय में लागू अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार, ऐसी अवधि, जो परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाए, के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा;

(ii) कोई ऐसा छात्र, जब तक कोई ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जाती है, अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है और उसे उस विश्वविद्यालय की ऐसी उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदत्त किया जा सकता है, जिसके लिए वह ऐसी परीक्षा के परिणाम पर अर्हता प्राप्त करता है ।

अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा उपाधियों, उपाधि–पत्रों या प्रमाण–पत्रों को प्रदत्त करने, अनुदत्त करने या जारी करने पर वर्जन।

6. (1) इस अधिनियम तथा उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से भिन्न कोई भी कोई महाविद्यालय या संस्था, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उसको सौंपे गए ज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कोई उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा/करेगी, या स्वयं को कोई ऐसी उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी करने के लिए हकदारी प्रकट नहीं करेगा/करेगी, जो उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त, अनुदत्त या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र के समरूप हो या उसकी मिलती–जुलती नकल का हो ।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन अपराध होगा और सक्षम प्राधिकरणों तथा शैक्षणिक निकायों जैसे राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी आदेशों तथा मार्गदर्शनों के दृष्टिगत इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(3) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो, तो वहां अपराध किए जाने के समय पर, संस्था के कार्य संचालन के लिए इसका कार्यभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति किसी कार्रवाई के लिए दायी नहीं होगा यदि वह दर्शाता है कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था तथा उसको इसकी जानकारी होने पर, ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए सभी सम्यक् तत्परता से कार्रवाई की गई है ।

(4) उप–धारा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन किया गया अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो तथा यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध संस्था के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, अथवा अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाता है, वहां ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।

व्याख्या.–इस धारा के प्रयोजन के लिए "संस्था" से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें शामिल है कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम।

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य।

7. विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:–

(क) विनिर्माण, कपड़ा, डिजाइन, संभार–तन्त्र तथा परिवहन, स्वचलन, रखरखाव, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देख–रेख, संरचना, बैंकिंग तथा वित्त, विपणन, सत्कार इत्यादि की नई सीमाओं सहित कौशल के उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षणों, अध्ययनों तथा अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा उन्नत करना तथा इन और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि में परमश्रेष्ठता भी प्राप्त करना;

(ख) कौशल शिक्षा संस्थाओं को ऐसी रीति में तथा ऐसे पैरामीटरों के अनुसार, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, मान्यता देना तथा सम्बद्ध करना;

(ग) राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क द्वारा यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार क्रेडिट फ्रेमवर्क विकसित करना;

(घ) भिन्न–भिन्न स्तरों पर कौशल का पाठ्यचर्या पैकज विकसित करना, जो विश्वविद्यालय द्वारा अथवा राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क द्वारा परिभाषित किया जाए;

(ङ) क्रेडिट फ्रेमवर्क तथा पाठ्यचर्या पैकजों, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, से संगत कौशल शिक्षा, अध्यापन तथा शिक्षण के मानक तथा पैरामीटर परिभाषित करना;

(च) उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;

(छ) विश्वविद्यालय या संस्था में दाखिले के लिए छात्र के ज्ञान तथा सक्षमता के मूल्यांकन के लिए परीक्षा अथवा कोई अन्य उपाय के मानक परिभाषित करना;

(ज) परीक्षाएं आयोजित करना अथवा ज्ञान या सक्षमता का अन्य मूल्यांकन करना, अथवा संस्था की परीक्षा या अन्य मूल्यांकन पद्धति का प्रत्यापन करना, जो विश्वविद्यालय समय–समय पर निर्धारित करे;

(झ) कौशल में छात्रों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उद्योगों या प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता देना तथा अर्जित क्रेडिटों के प्रयोजन के लिए उद्योग या प्रशिक्षण केन्द्र में ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण में किसी छात्र द्वारा प्राप्त सक्षमता की मान्यता के लिए मानक परिभाषित करना;

(ञ) विद्या के परिणामों से समझौता किए बिना नई विद्या के अवसरों को उन्नत करने के लिए क्रेडिटों के अन्तरण के लिए मानक अधिकथित करना;

(ट) ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी अवधि के लिए, जैसा विश्वविद्यालय विनिश्चित करे, विश्वविद्यालय के सहायक, अतिथि या विजिटिंग संकाय के रूप में महत्वपूर्ण अनुभव, ज्ञान तथा सक्षमता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(ठ) राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों, अथवा ऐसे अन्य मानकों, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएं, के अनुसार कौशल शिक्षकों तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं के मूल्यांकन तथा प्रत्यापन के लिए पैरामीटर, अधिकथित करना ;

(ड) प्रशिक्षण, परामर्श तथा सलाह सेवाओं सहित विश्वविद्यालय द्वारा उपबन्धित शिक्षण तथा अन्य सेवाओं के लिए छात्रों, संस्था, उद्योग अथवा निकाय निगम से फीसों तथा अन्य प्रभारों, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, को निर्धारित करना, विनिर्दिष्ट करना तथा भुगतान प्राप्त करना ;

(ढ) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अथवा में निहित किसी सम्पति का ऐसी रीति, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, में अर्जन करना, धारण करना, प्रबन्ध करना तथा व्ययन करना;

(ण) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से उपहार, अनुदान, चन्दा अथवा दान प्राप्त करना तथा वसीयतकर्ताओं, दाताओं अथवा अन्तरकों, जैसी भी स्थिति हो, से चल अथवा अचल सम्पत्तियों, की वसीयतों तथा अन्तरण प्राप्त करना;

(त) कौशल की पूर्व विद्या की पहचान करने तथा मान्यता देने के लिए कौशल शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इसके अपने विद्यालय स्थापित करना;

(थ) इसकी अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर कैम्पस तथा प्रशिक्षण केन्द्रों सहित ऐसी अवसंरचना स्थापित करना तथा रख–रखाव करना;

(द) अध्येतावृत्ति छात्रवृत्तियां, छात्र–सहायता वृत्तियां, पुरस्कारों तथा पदकों को संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(ध) उच्चतर शिक्षा सहित कौशल शिक्षा सेतु बन्धन के लिए संयुक्त उपाधि प्रदान करने वाले प्रोग्रामों में किसी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सहयोग करना;

(न) ग्लोबल मानक की सक्षमता, ज्ञान तथा सामर्थता विकसित करने के प्रयोजन के लिए कौशल शिक्षा के संस्थाओं से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना;

(प) इसके अपने प्रोडक्शन हाउस, इन्क्यूबेशन सेन्टर, रिटेल हाउस या सर्विस सेन्टर या कोई अन्य सेन्टर स्थापित करना जो नवयुवकों के कौशल स्तर को बढ़ाने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगा; तथा

(फ) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, वर्गों, जातियों तथा पंथों के लिए खुला होना।

8. विश्वविद्यालय लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति अथवा वर्ग को विचार में लाए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा तथा सदस्यों, छात्रों, अध्यापकों, कर्मकारों को प्रविष्ट अथवा नियुक्त करने में अथवा किसी अन्य संबंध में, चाहे जो भी हो, धर्म, विश्वास अथवा वृत्ति के बारे में, कोई भी परीक्षा थोपी नहीं जाएगी या शर्त नहीं लगाई जाएगी और ऐसा कोई भी धर्मदान स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की राय में, इस उपबंध के भाव तथा उद्देश्यों के विरुद्ध शर्तें अथवा बाध्यताएं आती हों:

परन्तु इस धारा में दी गई कोई भी बात, विश्वविद्यालय को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बारे में कोई विशेष उपबंध करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी ।

विश्वविद्यालय का अध्यापन।

9. विश्वविद्यालय में सारा अध्यापन, विश्वविद्यालय द्वारा तथा उसके नाम पर इस निमित्त बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार चलाया जाएगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

(i) कुलाधिपति;
(ii) कुलपति;
(iii) कुल-सचिव (रजिस्ट्रार); और
(iv) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति।

11. (1) हरियाणा के राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा ।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे-

(i) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, द्वारा विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा उपकरणों का तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं तथा किए गए या करवाये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवाना;

(i) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के वित्त प्रबन्धन से संबंधित किसी मामले के बारे में वैसी ही रीति में की जाने वाली जांच करवाना।

(5) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, कराए जाने वाले निरीक्षण या की जाने वाली जांच के अपने आशय का विश्वविद्यालय को नोटिस देगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को कुलाधिपति को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(6) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकता है जो उप-धारा (4) में निर्दिष्ट है ।

(7) जहां कुलाधिपति द्वारा किए जाने वाला कोई निरीक्षण या जांच करवाई गई हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई किए जाने का अधिकार होगा ।

(8) कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था के बारे में निरीक्षण या जांच की गई है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष के संदर्भ में, कुलपति को संबोधित करेगा, और कुलपति, कुलाधिपति के दृष्टिकोण तथा कुलाधिपति द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार उस पर की जाने वाली कार्रवाई कार्य परिषद् को संसूचित करेगा ।

(9) कार्य परिषद्, कुलाधिपति को कुलपति के माध्यम से, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष पर करने का प्रस्ताव करती है या कर चुकी है, संसूचित करेगी ।

(10) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार कार्यवाई नहीं करती, तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी ।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित में आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभाव कर सकता है, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हों:

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, वह विश्वविद्यालय से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाये, और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण दिया गया है, तो वह उस पर विचार करेगा।

(12) कुलाधिपति, किसी भी समय, विश्वविद्यालय से इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है या निर्देश दे सकता है।

(13) उप–धारा (11) तथा (12) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां, किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जायेंगी ।

(14) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जो उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में कार्य परिषद् या कुलपति के निर्णय से व्यथित हो, कुलाधिपति को अभ्यावेदन ऐसी रीति में संबोधित कर सकता है जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये और कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा ।

(15) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

कुलपति। **12.** (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति, राज्य सरकार की सलाह पर, तीन वर्ष की अनधिक ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जैसा राज्य सरकार द्वारा उचित समझे।

(2) कुलपति प्रौद्योगिकी, विज्ञान, लोक प्रशासन, कौशल विकास, भेषजी या प्रबन्धन के क्षेत्र से नियुक्त किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार, कुलपति की अवधि की समाप्ति से तीन मास पूर्व, कुलाधिपति के दो नामनिर्दिष्टयों तथा कार्य परिषद् के एक नामनिर्दिष्ट को मिलाकर कोई चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का कोई पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श पर, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, राज्य सरकार के परामर्श पर, कुलपति द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

(4) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसे एक अवधि से अधिक के लिए नवीकृत नहीं किया जा सकता:

परन्तु वह तथ्य कि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है को ध्यान में लाए बिना अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद धारण करने से प्रवरित हो जाएगा ।

(5) यदि कुलपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी अस्थाई अशक्तता के फलस्वरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, या कुलपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र या अन्यथा रिक्त हो जाता है, तो कुलाधिपति जब तक वर्तमान कुलपति अपना पद पुनः ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो जाता है, या जब तक कोई नियमित कुलपति नियुक्त नहीं किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, तो कुलपति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी तथा शिक्षा अधिकारी होगा और उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभावशील करेगा ।

(7) कुलपति, यदि उसकी राय हो कि किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह संकाय, विभाग या पद के सृजन अथवा समाप्ति वाले मामले और किसी कर्मचारी की नियुक्ति या उसे हटाए जाने वाले मामले के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त की गई किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले कुलपति कारण अभिलिखित करेगा कि मामले में सम्बद्ध प्राधिकरण की बैठक तक इन्तजार क्यों नहीं किया जा सकता:

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी भी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यथित है, ऐसी कार्रवाई पर निर्णय की संसूचना की तिथि से एक मास के भीतर कार्य परिषद् के पास अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकती है, उपांतरित कर सकती है या उल्ट सकती है । कर्मचारी को सूचित किया जायेगा कि कार्रवाई अपात् शक्तियों के अधीन की गई है ।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(9) कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श पर, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार की जाने वाली कोई जांच करवा सकता है तथा कुलपति को पद से हटा सकता है, यदि वह, ऐसी जांच पर, ऐसे पद पर प्रत्यक्ष रूप से बने रहने के अयोग्य व्यक्ति के रूप में पाया जाता है :

परन्तु कुलाधिपति, यदि उसकी राज्य में कुलपति के विरुद्ध किसी शिकायत में चालू मामला, कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अड़चन के रूप में काफी गम्भीर है, तो कुलपति की कार्य शक्तियों तथा कृत्यों को कम कर सकता है तथा जब तक वर्तमान कुलपति अपना पद ग्रहण करने में समर्थ नहीं है या जब तक कुलपति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है, जैसी भी स्थिति हो, तब तक कुलपति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।

कुल–सचिव।

13. (1) कुल–सचिव राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुल–सचिव, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।

अन्य अधिकारी।

14. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

15. (1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:–

(i) संसद;
(ii) कार्य परिषद;
(iii) कौशल परिषद;
(iv) वित्त समिति;
(v) संकाय;
(vi) योजना बोर्ड; और
(vii) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किए जाएं।

(2) प्राधिकरणों का गठन, कृत्य तथा शक्तियां ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

संसद।

16. (1) संसद का गठन, तथा इसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय की मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों का, समय–समय पर, पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय सुझाना;
(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट तथा वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना;
(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे मामले के बारे में परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और
(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

कार्य परिषद ।

17. (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) कार्य परिषद का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

शिक्षा परिषद ।

18. (1) शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शिक्षा नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) शिक्षा परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

संकाय।

19. संकायों के गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त समिति ।

20. वित्त समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

योजना बोर्ड।

21. योजना बोर्ड का गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

परिनियम तथा उनका क्षेत्र।

22. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों, जो समय–समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां तथा कृत्य;
(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति का ढंग, शक्तियां तथा कर्तव्य;
(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनमें उनके लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि या बीमा योजना के लिए उपबंध शामिल हैं;
(घ) सम्मानिक उपाधियां प्रदत्त करना;
(ङ) संकायों तथा विभागों की स्थापना तथा समाप्ति;
(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र–सहायता वृत्तियां, पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना;
(छ) छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
(ज) शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों की अनुमति दी जा सकती है तथा उन्हें वापिस लिया जा सकता है;
(झ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और
(ञ) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किए जाने हैं अथवा परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं।

परिनियम ।

23. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, विश्वविद्यालय के परिनियम वे होंगे, जो अनुसची में दिए गए हैं:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व बनाये गये परिनियमों के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकरण तब तक इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग तथा सभी कृत्यों का पालन करते रहेंगे जब तक ऐसे प्राधिकरण ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची में बनाये गये परिनियमों के निबंधनों के अनुसार गठित नहीं किए जाते हैं ।

(2) कार्य परिषद्, समय–समय पर, इस धारा में इसमें इसके बाद, उपबंधित रीति में, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या परिनियमों का संशोधन अथवा निरसन कर सकती है:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसीयत, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगी, संशोधित या निरसित नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

(3) कौशल परिषद्, कार्य परिषद को शैक्षणिक विषयों से संबंधित किसी परिनियम के प्रारूप को कार्य परिषद् के विचार के लिए प्रस्तावित कर सकती है ।

(4) प्रत्येक नये परिनियम अथवा परिनियम में परिवर्धन अथवा किसी परिनियम के किसी संशोधन अथवा निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे स्वीकृत, अस्वीकृत कर सकता है अथवा इस पर आगे विचार करने के लिए इसे लौटा सकता है । कार्य परिषद् द्वारा पारित किसी परिनियम की तब तक विधिमान्यता नहीं होगी जब तक इसे कुलाधिपति द्वारा सहमति न दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार के परामर्श पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में, कार्य परिषद् को परिनियमों को बनाने, संशोधित करने या निरसन करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद्, इसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति कार्य परिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हों, या ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में अपनी अक्षमता पर विचार करने के बाद, परिनियम उचित रूप से बना सकता है, संशोधित कर सकता है या निरसित कर सकता है ।

अध्यादेश तथा उनका क्षेत्र।

24. इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन, अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का दाखिला तथा उनका ऐसे रूप में पंजीयन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, उपाधि–पत्रों तथा प्रमाण–पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की उपाधि अथवा उपाधि–पत्र पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में दाखिला दिया जाएगा तथा ऐसी उपाधियों और उपाधि–पत्रों के लिए पात्र होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधि–पत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें; तथा आगे फीस के ढांचे को उत्तरोतर इस प्रकार लचीला बनाना कि संभव सीमा तक पाठ्यक्रम स्वतः वित्तपोषित हो सके;

(ङ) अध्येता–वृत्तियां, छात्र–वृत्तियां, छात्र–सहायता वृति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षकों, अनुसीमकों तथा निर्धारकों की पदावधि तथा नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालयों के छात्रों के निवास की शर्तें; तथा

(ज) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा बनाए जाने हैं अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं।

अध्यादेश।

25. (1) अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा बनाए, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जायेंगे:

परन्तु कोई भी ऐसा अध्यादेश–

(i) जो छात्रों के दाखिले या उनके पंजीयन को अथवा विहित परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बराबर मान्यता दिए जाने को प्रभावित करने वाला हो; और

(ii) जो परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, ढंग या कर्तव्यों या परीक्षाओं अथवा किन्हीं अध्ययन पाठ्यक्रमों के संचालन या स्तर को प्रभावित करने वाला हो,

तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

(2) कार्य परिषद् उपधारा (1) के अधीन कौशल परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को, अपने सुझावों सहित, या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, पुनर्विचार के लिए कौशल परिषद् को लौटा सकती है:

परन्तु कार्य परिषद्, कौशल परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को स्वयं संशोधित नहीं करेगी। तथापि, वह ऐसे प्रारूप को, यदि उपयुक्त नहीं पाया जाता है, जब उसे कौशल परिषद् द्वारा दूसरी बार इसे प्रस्तुत किया जाये, अस्वीकार कर सकती है।

(3) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे, जो वह निर्दिष्ट करे और बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कुलाधिपति को, यथाशीघ्र, संसूचित किया जाएगा।

विनियम।

26. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बना सकते हैं, जो–

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करेंगे; और

(ख) ऐसे सभी मामले उपबंधित करेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के माध्यम से विनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तिथियों तथा बैठकों में विचार किए जाने वाले कार्य की सूचना देने के लिए और बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए उपबंध करने वाले विनियम बनाएगा ।

वार्षिक रिपोर्ट।

27. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान बनाए गए विस्तृत कार्यक्रमों, नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों तथा अध्यादेशों के संशोधन का विवरण देते हुए, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी और संसद को ऐसी तिथि को या इसके बाद, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, प्रस्तुत की जाएगी और संसद अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

निधियां तथा लेखे।

28. (1) विश्वविद्यालय की सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा:–

(क) फीस, अनुदान, चन्दों और उपहार, यदि कोई हो, से उसकी आय;

(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय कौशल विकास नगम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या इसी तरह के प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम द्वारा दिए गए किसी अंशदान या अनुदान;

(ग) विन्यास तथा प्राप्तियां।

(2) विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य निधियां हो सकती हैं, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय की निधियां तथा सभी धन ऐसी रीति, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, में प्रबन्धित किए जाएंगे।

(4) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययनों तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा उन्नत करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवा सकती है।

वार्षिक लेखे।

29. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो पन्द्रह मास से अधिक न हों, निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा या किसी अन्य लेखा–परीक्षक, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, द्वारा लेखा–परीक्षित किए जाएंगे। वार्षिक लेखे, लेखा–परीक्षित किए जाने पर, हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा अथवा लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति संसद तथा कुलाधिपति को कार्य परिषद् की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गई कोई टिप्पणी संसद के ध्यान में लाई जाएगी तथा संसद की टिप्पणियां, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के बाद, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएंगी ।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे कुलाधिपति को उनके प्रस्तुतीकरण के समय राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

अधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा शर्तें।

30. (1) कुलपति तथा कुल–सचिव के सिवाय, प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी तथा विश्वविद्यालय और अधिकारी या अध्यापक के बीच किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद संबंधित अध्यापक या अधिकारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर माध्यस्थम् अधिकरण जो कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलपति का एक नामनिर्देशिती को मिलाकर बने, को निर्दिष्ट किया जाएगा । अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा निर्णित विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं हो सकेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26), के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए निवेदन के रूप में समझा जाएगा ।

पेंशन, भविष्य निधि और बीमा निधि।

31. (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, सरकारी कर्मचारियों के पैटर्न पर, भविष्य निधि तथा बीमा निधि संस्थित करेगा।

(2) जहां कोई भविष्य निधि और बीमा निधि इस प्रकार गठित की गई है, वहां भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 19), के उपबंध लागू होंगे।

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

32. इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य, अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी–

(क) प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन अथवा नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता; या

(ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कार्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता ।

कतिपय विवादों का कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना।

33. यदि कोई सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या ऐसा सदस्य बने रहने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

34. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसी कोई बात कर सकती है, जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर पदों का सृजन।

35. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कोई अध्यापन और अध्यापनेत्तर पद सृजित नहीं करेगा या अध्यापन और अध्यापनेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरिक्षित नहीं करेगा :

परन्तु राज्य सरकार इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां कुलपति या कार्य परिषद् को प्रत्यायोजित कर सकती है जब कभी विश्वविद्यालय के निर्बाध कार्य तथा उन्नयन के लिए आवश्यक समझती है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

36. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी बात, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

55107—L.R.—H.G.P., Chd.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2018/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 08 मार्च, 2018

(17 फाल्गुन, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30)	13–14
	2. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 35)	15–16
	3. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1)	17
	4. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2) (केवल हिन्दी में)	19
भाग II	**अध्यादेश**	
	1. हरियाणा नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1)	11
	2. हरियाणा मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2)	13–14
	3. हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3) (केवल हिन्दी में)	15–19
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 12/ह०अ० 6/2005/धा० 15/2018, दिनांक 8 मार्च, 2018 –हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) नियम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	205–206
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	